न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 48/2024 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी 32ए, राजबिहार कॉलोनी, राज. कन्या महाविद्यालय के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/115

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.7.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित 7 बिन्दुओं की सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलान्ट को चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। अपीलान्ट द्वारा नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्राप्त हुई है शेष बिन्दु संख्या 1,2,3,5,6 की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है अतःशेष बिन्दुओं की सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जावे। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः प.13(2)(72) सूकाअ/2024/1026 दिनांक 24.10.2024 का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.7.2024 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,4,5,6 की कुल 8 पृष्ठो की सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.13(1)(72)सूकाअ/2024/1005 / 16.10.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 2,3 की सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना बिन्दु संख्या 5 की सूचना मे समाहित है। बिन्दु संख्या 7 मे कोई सूचना अपेक्षित नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.7.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,4,5 मे चाही गयी सूचना कोर्ट अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग, से संकलित कर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। शेष बिन्दु संख्या 2,3 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुन[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 17:58:16 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला क[illegible] सवाई [illegible]

Scanned with OKEN Scanner